न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर॰ए॰एस॰)

जीसीएमएस नं: 2025/202
मुकदमा नम्बर 48/2025 दर्ज दिनांक– 17.08.2025

राजकुमार वर्मा उर्फ रामकुवार पुत्र भागचन्द वर्मा जाति मेघवाल निवासी टोंक छिलरी, तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू

–आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

–अनावेदक

वकील आवेदक : – श्री महेश नारनोलिया
वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश :: **निर्णय दिनांक 16.07.2025**

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम टोंकछिलरी की सरहद में भूमि खाता सं. नया 208 पुराना 31 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 1213 रकबा 0.0750 है0, खसरा नं. 1407/856 रकबा 0.36 है0,1410/821 रकबा 0.0850 है0,1416/1132 रकबा 2.82 है0, 821 रकबा 0.28 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 3.62 है0 के राजस्व रिकार्ड में आवेदक का नाम रामकुवार के स्थान पर राजकुमार वर्मा पुत्र भागचन्द वर्मा दुरूस्त कर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदक कि जारी की गई। अनावेदक की और से जरिये पैरो. राज. रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./25/8051 दिनांक 28.05.2025 पेश हुई, जिसके अनुसार रिकार्ड दुरूस्त किया जाना उचित बताया है।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई। मुताबिक तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./25/8051 दिनांक 28.05.2025 आवेदक का प्रा. पत्र साबित पाया जाता है।

लिहाजा आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम टोंकछिलरी की सरहद में भूमि खाता सं. नया 208 पुराना 31 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 1213 रकबा 0.0750 है0, खसरा नं. 1407/856 रकबा 0.36 है0 ,1410/821 रकबा 0.0850 है0 ,1416/1132 रकबा 2.82 है0, 821 रकबा 0.28 है0 कुल किता

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

5 कुल रकबा 3.62 है0 के राजस्व रिकार्ड में आवेदक का नाम रामकुवार के स्थान पर राजकुमार वर्मा पुत्र भागचन्द वर्मा दुरूस्त कर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। सुलभ संदर्भ हेतु तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट कमांक/भू.अ./25/8051 दिनांक 28.05.2025 उक्त आदेश का भाग होगी।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 16.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुझुंनू